



**2026: AHC: 29481-DB**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **2232 वर्ष 2026**

मोहम्मद जियाउर रहमान @ जियाउर रहमान एवं 3 अन्य .....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुशाग्र श्रीवास्तव, शाहरुख

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., रघुवंश चंद्र, राम जी सक्सेना

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवंश चंद्र को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने इस बात की ओर इशारा किया है कि वर्तमान मामले में, जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वह इस रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और इसे उचित स्तर पर उचित मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ 'वापस ली गई' मानकर खारिज की जाती है।

10 फरवरी, 2026

ज़फ़र

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"